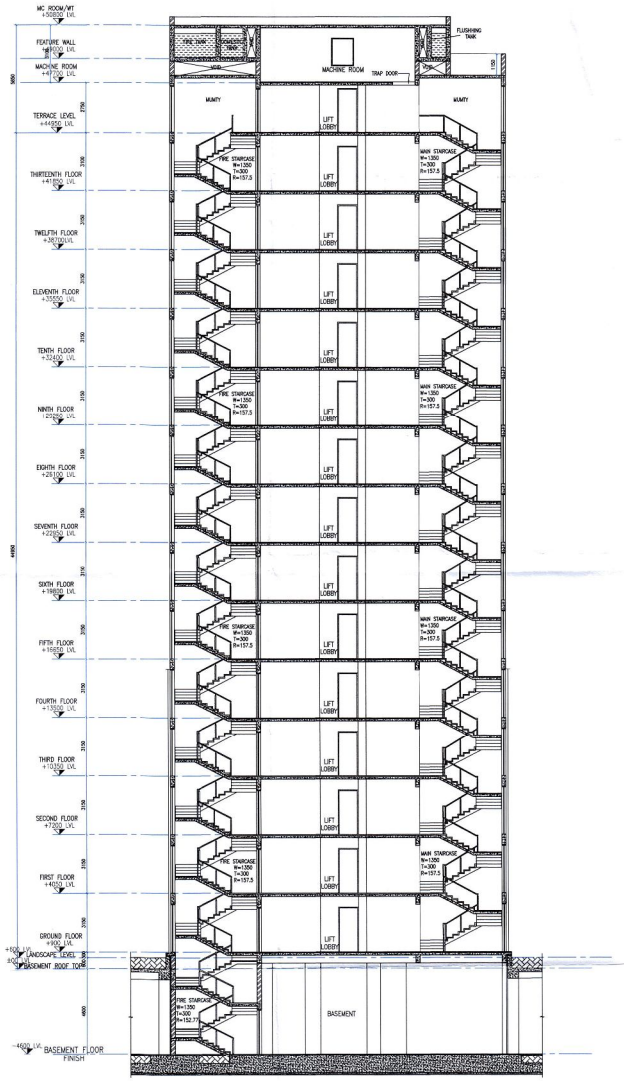

SECTION B-B

प्रतिबन्ध

1 शासन पत्र दिनांक 30.09.2017 के अनुक्रम सर्वविदित विषय की अनारक्षित शीघ्र जमा न करने एवं लेबर सेस से सम्बन्ध में अनुपालन न किये जाने की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

2 भू-स्वामित तथा भूमि क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विक्रयकर्ता केवल उसी भूमि पर विक्रय/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित व कब्जा विक्रयकर्ता अभूमी के नाम है। भूखण्ड के जिस क्षेत्रफल नक्शे का स्वामित्व मात्र क्रय की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विक्रयकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग या विक्रयकर्ता तथा अन्य कोई निर्माण या विक्रय कार्य नहीं करेगा जब एक कि उस भाग का पुनर्वितरण/अभिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विक्रयकर्ता के पक्ष में न हो जाये।

3 सर्वेक्षण मानचित्रों के क्रम में तैयार स्कीमिंग प्लान के अनुसार खसरापत्रक अनिवार्य होगा।

4 शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूकम्प विरोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।

5 तैयार स्कीमिंग प्लान व सर्वेक्षित प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।

6 भूमि अभि शासन अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।

7 पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

8 रिचार्ज स्ट्रक्चर एवं सोलर वॉटर हीटर्स का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।

9 रेरा एक्ट, लेबर एक्ट व पेशागत सेफ्टी कोड का अनुपालन करना होगा, तथा लेबर सेस से सम्बन्धित सूचना जमा करके प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

10 स्थल पर मानवीय श्रम से निकलने वाली मिट्टी रेतु रैम का निर्माण एवं बसारीत सुविधाओं का विकास करना होगा।

11 स्थल पर मानवीय श्रमिकों हेतु अस्थायी भूमाफाए लगाना होगा।

12 संरक्षित स्मारक मानचित्र हेतु अभिलाषित विकास की संस्तुति अनारक्षित शीघ्र प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी

13 मूल्य जमा एवं बाम निरीक्षक, ऊ0प्र0 उद्यमक द्वारा सही जमा किये जाने पर अभिलेख जमा करना होगा।

14 यदि भविष्य में ऐसी कोई बात प्रकाश में आती है कि विक्रयकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की संस्तुति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायगा।

शहर नियोजक लखनऊ प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या 1/2/2017 के अनुसार इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि जिसका प्रतिबन्ध भूमि विवाद न्यायालय के लिए विचाराधीन है।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
स्वीकृत
फाइल संख्या 4162
दिनांक 21-09-2017
स्वीकृत की वैधता दि0 30-09-2022
अधिशासी अभियन्ता
विकास क्षेत्र, लखनऊ

PROJECT TITLE:

PROPOSED GROUP HOUSING -4
SITUATED AT INTEGRATED TOWNSHIP
AT BAGHAMAU VILLAGE ,LUCKNOW

KEYPLAN:

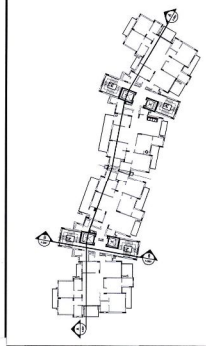

SUBMISSION DRAWING

NORTH:

NOTE:

DRAWING TITLE:

TOWER-1, 2, 3 & 4
SECTION B-B

SCALE	1:100	DATE	27-09-16
DRAWN		CHECKED	
PAPER		ISSUED	

CLIENT & DEVELOPER:

M/S. ANS Developers Pvt. Ltd.
(Lead Member of Consortium of ANS Constructions Ltd.)
Regd. Office: 308, Tulsiani Chambers, Nariman Point, Mumbai- 400021.

DESIGN ARCHITECT:

SIKKA ASSOCIATES ARCHITECTS

PLUMBING & FIRE:

M/s. Techno Engineering Consultants
Pocket-A, 30 D, Siddartha Extension
New Delhi - 110014
Phone No. - 91-11-26344668

ARCHITECT:

AR. SAURABH GUPTA
COA Reg No.-CA/2008/42317

OWNER:

(अनवर रिज़वी)
निदेशक
मे० एएनएस डेवलपर्स प्रा० लि०

D NO.	GH-4-09	S NO.	09/13